

संख्या-1692 /15-7-08 -161 63 1/2008

प्रेषक,

श्री प्रकाश, मुम्बई,
द्वारा प्रेषित,
श्री श्री प्रकाश काला ।

सेवा में,

श्री
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विश्वविद्यालय, दिल्ली,
श्री श्री शिक्षा, श्री श्री श्री ।

विद्या 171 अनुभाग

तखतः दिनांक: 30 मई 2008


विषय:-

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, दिल्ली, भारत के
श्री श्री शिक्षा, श्री श्री श्री केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
द्वारा

महोदय,


उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह ज्ञान
का निदेश प्राप्त है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को **श्री श्री शिक्षा** नई दिल्ली से
संबंधता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने से ही राज्य सरकार को निम्नलिखित
प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है:-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सीमापट्टी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
 - 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
 - 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 3090 को शिक्षा परिषद द्वारा संगठित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा केंद्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सेवा का केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/केंद्रीय शिक्षा परिषद द्वारा अनुदान प्राप्त है तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय शिक्षा परिषद की सेवा का प्राप्त करने की तिथि से 3090 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान


Principal
Columbia Convent Institute
Meerut Road, Ghaziabad


Chairman
Columbia Convent Institute
Meerut Road, Ghaziabad


Manager
Columbia Convent Institute


Principal
Columbia Convent Institute
Ghaziabad

- 151 संस्था के शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायीं जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीनों में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की बूझ या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

श्री प्रकाश मुखर्जी
मुख्य सचिव

पु०संख्या एवं दिनांक तैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, नाथियाबाद ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय 3090, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, **डोमिनियन कॉन्वेंट इंस्टीट्यूट, मेरठ रोड, नाथियाबाद ।**
- 6- गार्ड फ़ाइल ।

Chairman
Columbia Convent Institute
Meerut Road, Ghaziabad

श्री प्रकाश मुखर्जी
मुख्य सचिव